

सरदार पटेल का सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व

पूनमलता

शोधार्थी

इतिहास विभाग

शहीद मंगल पाण्डे राजकीय (पी०जी०) कॉलेज

माधवपुरम, मेरठ (उ०प्र०)

डॉ० अनीता गोस्वामी

शोध निर्देशिका

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग

शहीद मंगल पाण्डे राजकीय (पी०जी०) कॉलेज

माधवपुरम, मेरठ (उ०प्र०)

सारांश

सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म साधारण ग्रामीण संस्कृति के आंचल में छोटे किसान परिवार में हुआ और उसी क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच विभिन्न समस्याओं हेतु उन्होंने वकालत की, इसके उपरान्त महात्मा गांधी के अद्वितीय सत्य, अहिंसा-सत्याग्रह के मार्ग से सरदार ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष किया और जनता को गांधीजी के सिद्धान्त के प्रति बड़े पैमाने पर व्यवहार सिखाया। गांधीजी देश के समाज की आत्मा गांवों में पाते थे और इसी कारण गांधीवाद ग्रामीण उत्थान पर अधिक बल देता है। ग्रामीण जीवन के संस्कार तथा उन समस्याओं से परिचित तथा गांधीवादी सिद्धान्त के व्यवहार और देश के विकास के मार्ग के लिए सरदार पटेल की एक ऐसे शुद्ध और आत्मनिर्भर भारतीय समाज का निर्माण करने की इच्छा थी, जो गांधी वादी कल्पना को पूरक तथा व्यावहारिक दृष्टि से सफल समाज हो। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के समय ही सरदार पटेल ने यह पूर्णतया अनुभव कर लिया था कि गांधी जी के मार्ग से ही देश का भला हो सकता है, चाहें स्वतंत्रता-प्राप्ति का प्रश्न हो अथवा देश के पुनर्निर्माण का प्रश्न हो।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 27.02.2022

Approved: 14.03.2022

पूनमलता,

डॉ० अनीता गोस्वामी

सरदार पटेल का
सामाजिक राजनीतिक
नेतृत्व

RJPP Oct.21-Mar.22,
Vol. XX, No. I,

pp.142-152
Article No. 19

Online available at :

[https://anubooks.com/
rjpp-2022-vol-xx-no-1](https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-1)

सामाजिक पार्श्वचित्र

सर्वप्रथम सरदार का सामाजिक पार्श्वचित्र गांधी जी का पूरक है और एक सीमा तक गांधीजी के सिद्धान्त से मिलता है, जैसे स्वयं एक बार उन्होंने भाषण में कहा था—

“मैं जनता से कहता हूँ कि महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलें तथा जीवन के हर क्षेत्र में, विशेष क्षेत्रों में भी अस्पृश्यता का निवारण करें। अंतर-सांप्रदायिक एकता और पूर्ण नशाबंदी करें।”¹

सर्वप्रथम पटेल भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई अस्पृश्यता पर बल देते हुए उसकी समापित चाहते हैं। उन्होंने कहा, “मैं नई सरकार के समक्ष भी यह एक निवेदन रखूंगा कि वह जनता के सामाजिक जीवन से छुआछूत को मिटाए। अस्पृश्यता भी एक कारण था, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी अपना संपूर्ण जीवन लड़ते रहे।”²

उनका मत था कि छुआछूत धर्म के नाम पर स्पष्ट रूप से एक कलंक है और भारत के नासूर में एक फोड़ा है। वे भावात्मक रूप से यह प्रश्न करते नजर आते हैं कि “हम आत्मा के मोक्ष में विश्वास करते हैं। यदि हम यह इच्छा रखते हैं कि किसी बाधा से स्वतंत्र रहें तो हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि संपूर्ण देश में सब छुआछूत की बाधा से मुक्त हो।”³

सरदार दूसरे विवाह-पद्धति पर भी बड़े चिंतित नजर आते थे। उनका कहना था, “बालिग उमर के लड़के-लड़कियां अपनी इच्छानुसार विवाह करें, इसमें माता-पिता या सगे-संबंधियों को बाधा नहीं डालनी चाहिए, बाधा डालें तो यह उनका अत्याचार माना जाएगा।”⁴

क्योंकि “पुरुष और स्त्री के बीच का विवाह संबंध पवित्र है और उसमें एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निर्वाह करने का उत्तरदायित्व समाया हुआ है।”⁵

वे बाल-विवाह के तो बड़े ही विरोधी थे। बिहार में एक स्थान पर उन्होंने कहा था— “जब हम सत्ता में आएं, हम व्यवस्था करेंगे कि कोई भी वह, जो अपनी लड़की की शादी बारह या तेरह वर्ष में करता है, लटका दिया जाना चाहिए या शूट कर दिया जाना चाहिए। लड़कियां चौदह या पंद्रह वर्ष में माँ बन जाती हैं और उनमें से कितनी ही छोटी आयु में विधवा बन जाती हैं। यह कब तब जारी रहेगा? क्या तुम नहीं देखते कि अपनी लड़कियों की हत्या कर रहे हो?”⁶

विधवाओं की स्थिति से भी सरदार चिंतित थे, उनकी दशाओं को जानते थे और मुख्यतया हिंदू विधवाओं जैसी दशा की कल्पना उनके मन में उठती थी। सामाजिक बंधनों और विधवाओं के प्रति समाज का व्यवहार, जिसमें क्रूरता और कठोरता का पार नहीं होता, सरदार समाज को बचाकर पुनर्विवाह पर बल देते हैं। समाज में बलि प्रथा, जिसमें बच्चों को बलि पर चढ़ाया जाए, से सरदार बड़े दुःखी थे। बिहार में एक सभा में उन्होंने इसके प्रति दिल का रोष उड़ेल दिया था—

“जो ब्राह्मण गुड़ड़े-गुड़ियों का विवाह करने के लिए ‘स्मृतियों’ उद्धृत करते हैं, वे ब्राह्मण नहीं, राक्षस हैं, और जो माँ-बाप इन ब्राह्मणों की बात मानकर बच्चों को काली माता को भेंट चढ़ाते हैं, वे स्वयं पशु हैं। मेरे हाथ में कानून हो तो मैं ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देने की सजा निश्चित करूँ।”⁷

समाज के निर्माण में सरदार ने शिक्षा पर विशेष बल दिया था, लेकिन स्वेदेशी शिक्षा पर, जिसमें तकनीकी आधार पर विशेष शिक्षा का प्रबंध हो, जैसा कि गांधी जी चाहते थे। साथ ही समान शिक्षा नारी के लिए भी चाहते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि जब तक नारी शिक्षा नहीं होगी, समाज बुराईयों से बचेगा नहीं। उनका इसके लिए भी विशेष आग्रह था— “पिछड़े हुए समाज की

कन्याओं को शिक्षित करने का काम महापुण्य का काम है। उसका फल बहुत समय के बाद मिलेगा और जब वह फल मिलेगा तो उसकी मिठास मिलेगी।”⁸

सार यह है कि सरदार पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी आत्मनिर्भर देखना चाहते थे, क्योंकि यदि वे आत्मनिर्भर न बन पाएं तो समाज का आधा भाग निष्क्रिय रह जाएगा।

सरदार पटेल की छाया समाज पर धर्म निरपेक्षता के लिए दिखाई पड़ती है, जिसमें वही नक्शा सामने आता है, जो गांधीजी का था। चाहे किसी रूप में भी नाम लो— ईश्वर एक है तथा सभी उसके हैं, धर्म उस तक जाने के अलग-अलग मार्ग हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है मानवता। पर जब धर्म के नाम पर अराष्ट्रीयता का प्रचार किया जाए या जात-पात व ऊँच-नीच के विचारों से ऊपर न उठकर देश को हानि पहुंचाए, और देश धर्म की संकीर्णताओं में बंधे तो वह पुननिर्मित न हो सकेगा। इसलिए उनके मन में बराबर यह चिंता बनी रहती थी कि भारतीय समाज धर्म की ऐसी संकीर्णताओं से ऊपर उठे। सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने की उनकी सदेच्छा थी और इसको बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति या संघ से वे सख्ती से निपटना चाहते थे, चाहे वह मुसलिम लीग हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, हिंदू महासभा हो, उग्रवादी कम्युनिस्ट हों या कोई अन्य। लेकिन सरदार पूर्णतया समाज में सबको बराबरी का स्थान देना चाहते थे। उनका कथन था कि जब ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है तो फिर मालिक और दास कौन हो सकता है? विश्व में किसी की तीन आंखें या चार पैर नहीं होते, सबको दो आंखें और दो पैर दिए गए हैं। अतः सभी समान हैं और यही समानता का भाव समाज में होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा में उन्होंने मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष के रूप में इस दृष्टिकोण को व्यवहार में भी बांध। यदि समाज में बहुसंख्यक वर्ग भी कोई हो, तब भी वह समान हित से अल्पसंख्यकों की ओर सोचे। उन्होंने कहा था—

“यह बहुसंख्यक समुदाय का उत्तरदायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे, ताकि बाद वाले का विश्वास पहले के प्रति बने। अंततः मुसलमान चार करोड़ हैं और हिंदू तीस करोड़... इसलिए भारत में मुसलमानों की सुरक्षा हो।”⁹

साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग भी समानता का उपभोग करते हुए देश व समाज के प्रति पूरी तरह से वफादारी रखें। सरदार इस बात से स्पष्टता या परिचित थे कि प्रत्येक को अपने व्यक्तिगत जन्म स्थान से प्यार होता है, लेकिन प्रांतवाद से एकता को खतरा होता है और समाज टूटता है। अतः हमें हृदय से पूरे भारत के समाज के प्रति प्यार रखना चाहिए और प्रांतवाद की भावना से ऊपर उठना चाहिए। इस प्रकार सरदार पटेल इन उपर्युक्त व्याप्त बुराईयों पर रोक लगाकर समाज की सुदृढ़ता और स्वच्छता चाहते थे। अब हमें यह देखना है कि वे किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते थे।

ग्रामोद्योग का समाजवाद

भारतीय समाज में सच्चा समाजवाद ग्रामोद्योग के विकास में दिखाई पड़ता है और पाश्चात्य देशों की भारी उद्योग नीति के स्थान पर भारत में ग्रामोद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन कर यह संभव है। इससे देश की विभिन्न रोजगार जैसी समस्याएं हल होंगी तथा देश का ग्राम संसार आत्मनिर्भर बनेगा और समाज का स्वस्थ पुनर्निर्माण होगा। यही गांधी जी की कल्पना थी, जिसके अनुसार सरदार भी स्वतंत्र भारत में सामाजिक उत्थान में इसी प्रकार की आर्थिक उन्नति से सुदृढ़ समाज की नींव रखना चाहते थे और उत्थान को आवश्यकतानुकूल बनाना चाहते थे, जिसमें हरदिया

के अनुसार— “आर्थिक उच्चता संपन्नता की ओर समाज के प्रत्येक अंग के सामूहिक प्रयासों से प्राप्त हो सकती है और उसमें उत्पादन के समस्त स्रोत राष्ट्रीय टीम के रूप में कार्य करें।”¹⁰

इससे ही समाज की उन्नति हो सकती है और देश आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा था— “यहां बाहर से बहुत अनाज मंगवाना पड़ता है, इससे देश का बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जैसे भी बने, बाहर से अनाज मंगाना बंद ही कर देना चाहिए और जितना जरूरी है, उतना देश में उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए।”¹¹

यही समाजवाद है, जिससे समाज स्थिर व आत्मनिर्भर बन सकता है। ऐसे समाजवाद की स्थापना के लिए हमें रचनात्मक कार्यों को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना होगा, क्योंकि इससे एक ओर हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, दूसरी ओर हमारा समाज स्वस्थ बनेगा। स्वयं सरदार पटेल ने जीवन भर रचनात्मक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी। अहमदाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में, परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी के विवाद के समय, आंदोलनों के समय तथा देश की स्वतंत्रता के उपरांत सरदार पटेल ने रचनात्मक कार्यक्रमों, जैसे वस्त्र-निर्माण, अन्य देशी वस्तुओं का निर्माण, नशाबंदी अभियान, ग्राम-संवा आदि में अपने को लगा लिया।

पुरानी पद्धति पर से नया निर्माण

सरदार ने स्पष्ट कहा था, हमें पुराने विचारों से चिपटे रहकर पुराने रास्तों पर नहीं चलना चाहिए।¹² सिद्धान्त से नहीं, अपितु व्यावहारिक जीवन की खुली पुस्तक से सरदार इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि सदियों से चली आ रही दासता के परिप्रेक्ष्य में क्षण भर में संपन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए यह भी संभव नहीं कि जनता को जो आदतें पड़ गई हैं, वे एक दिन में किसी विधयन से समाप्त हो जाएंगी। अतः उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा था कि समाज में “गरीबी की स्थिति से दुःखी नहीं होना चाहिए। जिस गरीबी का हमने स्वेच्छा से स्वागत किया है, उसमें अधिक दुःख पड़ने पर अधिक आनंदित होना चाहिए।”¹³

दूसरे, ग्रामों में जिस प्रकार प्राचीन संस्कृति के रूप में देश का विकास था, वहीं से आदर्श रूप में पुनः प्रारंभ करना होगा। वी०पी० मेनन के अनुसार— “समाज को वह पुरानी मजबूत नींवों के आधार पर नए ढांचे में बनाना चाहते थे।”¹⁴ लेकिन साथ ही देश में जो व्यक्तिगत उद्योगों की परंपरा है, उसे भी एकदम नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे विकास का मार्ग एकदम अवरुद्ध हो जाएगा। फिर जब तक सरकार, उद्योगों को सक्षमता से चलाने की पद्धति से पूर्ण परिचित नहीं हो जाएगी, तब तक केवल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का अर्थ कुछ नहीं होगा। और इससे देश को अंधकार ही मिलेगा। अतः पुरानी परंपरा एकदम न तोड़ी जाए तथा अधिक महत्व ग्रामों के छोटे-छोटे उद्योगों को दिया जाए, ताकि ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर भी बन सकें तथा आम व्यक्ति का जीवन-स्तर भी ऊँचा उठ सके।

औद्योगीकरण, पूंजीवाद तथा आर्थिक क्षेत्र का समन्वय

सरदार पटेल अधिक महत्व कुटीर उद्योगों को देते थे, परन्तु इस बात को भी अच्छी तरह जानते थे कि स्वतंत्र भारत में उन्नति और संपन्नता की दृष्टि से औद्योगीकरण का बड़ा महत्व है। यह औद्योगीकरण समाज व राष्ट्र के उत्थान में मुख्य भूमिका निर्वाह करेगा। लेकिन वे औद्योगीकरण का पक्ष विशेष वस्तुओं के निर्माण में लेते थे। साथ ही ऐसे औद्योगीकरण में वे इस कारण अधिक विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वहां अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण होता है। नीति यह होनी चाहिए कि बड़े

उद्योगों के स्थान पर धीरे-धीरे कुटीर उद्योगों का विकास किया जाएगा। उससे व्यक्तियों का शोषण नहीं होगा और उनको (छोटे उद्योगों को) बढ़ावा भी मिलेगा। तो भी औद्योगीकरण की आवश्यकता में— “सरदार चाहते थे कि पूंजीवाद पर सीमा से अधिक विधायन द्वारा रोक लगे और पूंजीपति अपनी पूंजी का प्रयोग ट्रस्टी बनकर करें, ताकि जनता को राहत मिले तथा जनता के हित में उसका सार्वजनिक उपयोग भी हो सके। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि— “हमें एक ऐसा वातावरण अवश्य तैयार करना चाहिए। जिसमें हम ऐसे आधारों की उपलब्धि कर सकें तथा जनता के रहन-सहन का स्तर और सम्मान सुधर सके।”¹⁵

ऐसा समन्वयात्मक दृष्टिकोण उनका था कि सीमाबद्ध पूंजीवाद रहे तथा आवश्यक औद्योगीकरण, जिनसे आर्थिक क्षेत्र में लाभ के साथ जनसामान्य का स्तर सुधरे और समाज का नवनिर्माण हो।

सामाजिक न्याय में व्यक्तिगत संपत्ति का दृष्टिकोण

सरदार का सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण यह था कि नीतियों का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें निर्धनों के रहन-सहन के स्तर को उठाने की व्यवस्था हो और प्रत्येक जन गरीबों की दशा के स्तर से देखे। लेकिन यह बात भावनात्मक अपील से संभव है। इसी कारण वे भूमि-सुधारों में बिना उचित मुआवजा भूपति को देने की व्यवस्था के अभाव में या उसे विधि न्यायालय में जाने की व्यवस्था के अभाव में लागू करने के विरुद्ध थे। इस दृष्टिकोण से वे व्यक्तिगत संपत्ति के किसी के द्वारा शोषण के विरुद्ध थे, लेकिन अमीर का मन बदलकर उसे गरीबों की ओर मोड़ने के पक्षपाती थे। दूसरे, सरदार पटेल किसी की भी व्यक्तिगत संपत्ति बलपूर्वक लिये जाने के विरुद्ध थे। गांधी जी के रहने के एक स्थान को उनका स्मारक बनाने की दृष्टि से बलपूर्वक उसके मालिक से उसे लेने का सरदार ने विरोध करते हुए कहा था—

“यदि इस तरह निजी संपत्ति जबरदस्ती से प्राप्त की जाएगी तो उसका अर्थ यह होगा कि किसी को अपने घर में किसी बड़े आदमी को मेहमान की तरह रखना ही नहीं चाहिए। राष्ट्र के नाम से ऐसे निजी मकान लेना आदमी को मेहमान की तरह रखना ही नहीं चाहिए। राष्ट्र के नाम से ऐसे निजी मकान लेना मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता और यह सब बापू के नाम से करना तो मुझे गुनाह मालूम होता है। हाँ, जो सार्वजनिक मकान को, अथवा जिसका संबंध मालिक के अपने परिवार के निवासस्थान के रूप में न रहा हो, ऐसे मकानों को लेने में हर्ज नहीं।”¹⁶

सरदार का निजी संपत्ति के इसी दृष्टिकोण में संपत्ति के अधिकार को संविधान द्वारा संरक्षित व उसे न्यायालय की परिधि में लाने की व्यवस्था भी सर्वविदित है।

ग्राम-सेवा, किसान व कृषि उन्नति

सरदार पटेल ग्रामों की उन्नति से समाज का निर्माण संभव समझते थे, जिसके लिए उन्होंने अधिकाधिक ग्राम रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया और अधिकाधिक ग्राम सेवा पर बल दिया। ग्रामसेवकों को निर्देश दिया कि वे अटूट धीरज, श्रद्धा और फल की इच्छा के बिना ग्रामोद्धार में जुटे रहें तथा इस बात की कल्पना न करें कि उनकी प्रसिद्धि हो। दूसरे, सरदार पटेल किसान की दशा को अधिकाधिक सुधारकर उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, ताकि देश में उत्पादन बढ़े और समाज आत्मनिर्भर बन सके। देश में 75 प्रतिशत से अधिक लोग किसान हैं या उन पर आधारित हैं। अतः सरदार का यह दृष्टिकोण बड़ा ही श्रेष्ठ था। किसानों को भी उनका संदेश था— “आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, ताकि देश में उत्पादन बढ़े और समाज आत्मनिर्भर बन सके।

देश में 75 प्रतिशत से अधिक लोग किसान हैं या उन पर आधारित हैं। अतः सरदार का यह दृष्टिकोण बड़ा ही श्रेष्ठ था। किसानों को भी उनका संदेश था— “आत्मनिर्भर बनिए, अन्न और कपास पैदा कर लाज रखिए।”¹⁷

इस प्रकार उपर्युक्त सामाजिक विचारों के साथ ही सरदार का आह्वान था कि अपनी-अपनी मर्यादा समझकर प्रत्येक को अपने-अपने क्षेत्र के काम में लग जाना चाहिए। इससे कार्य को गति मिलेगी और समाज को पुनरुत्थान होगा। प्रत्येक अहिंसा के मार्ग से हाथ में हाथ बढ़ाएं तथा एक-दूसरे के पूर्ण सहयोग से समाज को निर्मित करें।

राजनीति पार्श्व-चित्र

सरदार वल्लभभाई पटेल की राजनीतिक छाया एक ऐसे प्रजातांत्रिक देश के रूप में भारत को देखने को मिलती है, गांधी जी के ‘रामराज्य’ की कल्पना को उपलब्ध करा सकें, लेकिन व्यवहार तक, यद्यपि उन्होंने स्वयं कहा था— “हम बिल्कुल ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं, जैसी आज इंग्लैंड में हैं और इससे कम में हम संतुष्ट नहीं होंगे।”¹⁸

तो भी अपने देश की परिस्थितियों का उनको पूरा ध्यान था और उसमें भी वे त्याग के साथ जन नेताओं की आवश्यकता पर बल देते थे। उन्होंने कहा था— “आजकल के जमींदार और जागीरदार हमारे देश की संस्कृति की विशेषता के प्रतिनिधि नहीं हैं। इस पुण्यभूमि में धपवानों और जमींदारों या सत्ताधारियों की पूजा कभी नहीं हुई है। त्यागियों और तपस्वियों के चरणों में जागीरदार, धनवान और सत्ताधारी सिर झुकाते रहे हैं।”¹⁹

तो भी प्रजातंत्र के रूप में भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के साथ सरदार ने जो छाप भारतीयों के राजनीतिक समाज पर छोड़ी, उसकी मुख्य विशेषताएं हैं—

प्रजातंत्र, अनुशासन व प्रजातांत्रिक संस्थाएं

सरदार पटेल का प्रजातंत्र में पूर्ण विश्वास था, जैसाकि उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं से हमने देखा। उन्होंने दलीय नेता के रूप में, एक साथी के रूप में तथा प्रशासक के रूप में कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों की सीमा को पार नहीं होगा और पूर्ण अनुशासनबद्ध नहीं होगा, वह टिक नहीं सकेगा। अनुशासन शासक व शासित सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। प्रजातंत्र के बारे में जो उनकी अनुशासनात्मक दृष्टि थी, उसका चित्रण करते हुए श्री मूर्ति लिखते हैं— “सरदार अनुशासन की उच्च विकसित विधि रखते थे। उनके व्यावहारिक अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि स्वराज्य केवल वहीं बनाए रखा जा सकता है जहां अनुशासन जीवन का एक भाग होता है। विशेष मूलभूत मानवीय मूल्यों से कोई समझौता नहीं हो सकता। सरदार ने अनुशासन के इन्हीं मूलभूत मूल्यों को मुख्य महत्व प्रदान किया।”²⁰

साथ-ही-साथ अनुशासनबद्ध प्रजातांत्रिक वातावरण में ही उन्होंने प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रभावी रूप से कार्य करने की कल्पना की थी और कहा भी था कि साफ वातावरण में ही उसका अस्तित्व संभव है।

प्रजातंत्र का प्रभाव

सरदार पटेल प्रजातंत्र के प्रभावपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त थे और उनका कहना था कि “प्रजा में ताकत होगी तो जिस वस्तु की आवश्यकता उसे होगी, वह मिल जाएगी।”²¹

यदि प्रजा को यह लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वह स्वशासन में भी सत्याग्रह का मार्ग अपना सकेगी। सत्याग्रह का वही स्वरूप होगा, जो उन्होंने जीवन भर अपनाया। वे धर्म की

आड़ से इस प्रकार के विरोधी थे कि सरकार धर्म-विशेष को हानि पहुंचा सकती है। उनका कथन था कि जो ऐसा प्रचार करते हैं, वे नहीं जानते कि आज जनता की सरकार है, इसे लोग जब चाहें, बदल सकते हैं, सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं।

समाचार-पत्रों पर दृष्टि

सरदार पटेल प्रेस व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप के प्रति पूर्णतया पक्षपाती थे कि वह प्रदान की जाए और संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इसकी पूरी व्यवस्था कराई थी। साथ ही उनका यह दृष्टिकोण था कि "जिस समाचार-पत्र का जन्म स्वतंत्र भारत में होता है, उसे जन्म से ही स्वतंत्र होना चाहिए। गुलामी की हालत से भारत को मुक्त कराने का जो समय था, उसे समय समाचार-पत्र का जो धर्म था और जो कार्य था, उसमें और आज के समय में आकाश-पाताल का अंतर है। एक उत्तरदायी पत्रकार की लेखनी जनता पर भारी प्रभाव डाल सकती है। जितना प्रभाव जनता की भलाई पर डाल सकती है, उतना बुराई के लिए भी डाल सकती है।"²²

अतः समाचार-पत्र देश के निर्माण में हाथ बंटाएँ न कि ऐसा कार्य करें, जिससे जन-हानि हो।

दंड व्यवस्था पर दृष्टि

यद्यपि गांधीवादी सिद्धान्त के अनुसार बदला लेने की कार्यवाही को कोई स्थान नहीं तथा सरदार पटेल के संपूर्ण राजनीतिक जीवन में, यहां तक कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई में भी, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें बदले की भावना का समावेश हो, तो भी सत्ता में आने के बाद ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया, जिसमें अपराधियों को दंड देने के निश्चय के स्थान पर उन्हें सुधारने पर अपेक्षित अधिक बल हो। उनके अनुसार- "मित्रता से जितना काम होता है, उतना दंड से नहीं होता। कानून का सहारा कम-से-कम लेना चाहिए। हमारे पास सत्ता आई है। इस सत्ता के अमल के कारण किसी के मन में अरुचि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि हम इस रीति से काम नहीं करेंगे तो सत्ता को बचा नहीं पाएंगे।"²³

जहां तक संबंध सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग का है, उस पर सरदार का कहना था कि शक्ति का प्रयोग उस समय के लिए हो सकता है, जब सुधार के लिए लोक इच्छा हेतु आवश्यकता हो, लेकिन इसके विपरीत करने से यह सफल नहीं होगी। राज्य का यह बराबर उत्तरदायित्व है कि वह समझे कि तलवार का प्रयोग कमजारे पर कदापि नहीं हो, अपितु यदि हो तो उन्हें सुरक्षित करने के लिए।

सरकार और जनमत पर दृष्टि

सरदार का राजनीतिक दृष्टिकोण यह था कि सरकार बिना लोक सहमति के कार्य नहीं कर सकती और "यदि हम लोक सरकार चाहते हैं तो हमें अवश्य लोक सहमति और संचालन की स्थापना करनी होगी।"²⁴ इसी दृष्टि में सरकार पूर्णतया जनता की, चाहे उसका संबंध किसी भी धर्म से हो, सुरक्षा करेगी तथा धर्मों के हितों को टकराव से रोककर समानता की नीति का अनुसाराण करेगी। साथ ही शासक प्रजातंत्र में अपने को जनता का ट्रस्टी समझें, न कि शासक, और इस नीति से काम करेंगे कि राज्य की आय का अधिकांश लोक कल्याण के विषयों एवं कार्यों पर व्यय होगा। उनके ही शब्दों में-

"शासकों को अवश्य जान लेना चाहिए कि वे जनता के ट्रस्टी हैं और राज्य के सेवक। उनके जनता के साथ संबंध पिता और बच्चों की भांति के हैं उन्हें जनता के हित को अवश्य सुरक्षा प्रदान करनी है तथा जनता का कल्याण अवश्य उनका परम कर्तव्य है।"²⁵

नागरिकों का कर्तव्य

सरदार पटेल राज्य का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं तथा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं, समानताओं के साथ प्रदान करने के इच्छुक हैं, तो भी उनका आह्वान है कि— “यह प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि वह महसूस करे कि देश स्वतंत्र है तथा उसे सुरक्षा प्रदान करने का उसका कर्तव्य है। प्रत्येक भारतीय को अब यह बिल्कुल भूलना चाहिए कि वह एक राजपूत, सिख या जाट आदि है। उसको अवश्य, याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है तथा

भाषाई व छोटे राज्यों पर दृष्टिकोण

सरदार का राजनीतिक दृष्टिकोण छोटे क्षेत्रीय, मुख्यतया भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना को देश की अखंडता पर हानिकारक मानता है और वे इस प्रकार के प्रांतवाद के विरुद्ध हैं। उन्होंने इसी कारण आंध्र प्रदेश का तमिलनाडु से पृथक्करण पर विरोध किया था तथा वे सकारात्मक रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के पृथक्करण के भी विरोधी थे।²⁷ साथ ही, उनकी छोटे राज्यों, खासकर उस समय के देशी राज्यों को भी यह सलाह थी कि वे अपने भूतकाल में न जाएं तथा समयानुसार देश के नए कार्यक्रमों आस्थावान् रहें।

आर्थिक स्वतंत्रता व राजनीतिक समाज पर दृष्टि

लेखक के विचार में— “यह सरदार का मत था कि राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना अपनी वास्तविक अर्थों वाली स्वतंत्रता प्रदान करने में असमर्थ रहेगी।”²⁸

अतः उन्होंने कहा था— “मेरी केवल यही इच्छा है कि भारत को अचछा उत्पादक होना चाहिए।”²⁹ तथा “देश में कोई भूखा न रहे, भूख के लिए आँसू न बहाए, इसकी व्यवस्था देश में अधिकाधिक उत्पादन बढ़ाकर की जाए, आयात के भरोसे बैठकर नहीं। आयातित वस्त्रों, अन्न के दानों पर व्यक्ति निर्भर न करे। यह जनता का भी कर्तव्य है, लेकिन शासन का भी।”

इस प्रकार सरदार पटेल उपर्युक्त मुख्य धारणाओं के साथ चुस्त व दृढ़, अनुशासनबद्ध, जिसमें जनता की इच्छा सर्वोच्च हो और राज्य व्यक्ति के लिए तथा व्यक्ति राज्य के लिए श्रेष्ठ करे, ऐसी भावना के साथ राजनीतिक छाया छोड़ते हैं। लेकिन सबसे अधिक शासन को लोकतंत्रात्मक रूप देने के सिद्धान्त के विषय में सरदार कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे, यद्यपि वे उसकी गति को नियंत्रित करने को तैयार थे।³⁰

पटेल के नेतृत्व का वर्गीय चरित्र

श्री वी०पी० मेनन के अनुसार— “नेतृत्व दो प्रकार का है— एक नेता— जैसे नेपोलियन—जो नीति का निर्माता और व्याख्याता दोनों ही था और अपनी आज्ञानुसार उस पर अमल चाहता था। ऐसे सर्वोच्च व्यक्ति रोज-रोज पैदा नहीं होते। सरदार का नेतृत्व दूसरी तरह का था। उन्होंने अपने अधिकारियों का सावधानी से चयन किया और उनपर बिना हस्तक्षेप के नीति-निर्माण का कार्य छोड़ दिया। उन्होंने कभी झूठा दावा नहीं किया कि वे विश्व में सबकुछ जानते हैं। उन्होंने कभी भी एक नीति को स्पष्ट से अपने अधिकारियों की सलाह के बिना स्वीकार नहीं किया। ये विचार-विमर्श अधिकारियों से उन्हें लाभ पहुंचाने वाले थे।”³¹ स्पष्ट है कि सरदार ने जो भी कदम उठाया, वह पूर्ण विचार-विमर्श के उपरांत ही पूर्ण संतुष्टि के साथ उठाया। चाहे प्रशासन में नीतिगत निर्णय का संबंध हो या संघर्ष के समय सत्याग्रह का संबंध हो।

बारदोली सत्याग्रह में पूर्ण निर्णय तभी उन्होंने किया, जब सहायकों से पूर्ण संतुष्ट हो गए तथा स्थिति की अनुकूलता उन्होंने पाई। इस अर्थ में वह द्वितीय श्रेणी रखकर भी नेपोलियन से श्रेष्ठ थे। फिर सरदार का निर्णय मजबूत और संतुलनमयी था। वे इच्छापूर्ण चिंतन से मुक्त थे तथा उन्होंने सस्ती प्रसिद्धि कभी नहीं चाही। उन्होंने जनता को एकदम प्रसन्न करने के मीठे शब्द नहीं बोले, अपितु साफ (स्पष्ट) बोलने में विश्वास किया। विभाजन के बाद उन्होंने इसी कारण स्थान-स्थान पर यह कहा कि देश के साथ सहानुभूति रखनी हो और देश का हृदय से अपने को नागरिक मानना हो, तभी यहां रहना चाहिए, अन्यथा जहां श्रद्धा हो, वहां चले जाना चाहिए। सरदार स्वयं कहते थे— “मैं जो करता हूं, सो कभी छिपाता नहीं हूं। कई समर्थ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई करने में मुझे संकोच नहीं हुआ।” उनकी नाराजगी भी मोल लेकर सार्वजनिक काम में जिसे मैंने अपना कर्तव्य माना, उसका पालन करने में चूका नहीं। इस स्पष्टता में सरदार की कार्य पद्धति का मुख्य मापदंड यह होता था कि कोई नीति-विशेष या घटना देश के हित में है या नहीं। उनकी अधिकांश बातों में देशभक्ति ही कसौटी होती थी। उदाहरणार्थ— भारत के विभाजन को उन्होंने समय व देशहित की कसौटी पर रखा तथा गृहयुद्ध को टालने तथा देश को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से इसे स्वीकार किया बंबई में जब भारतीय नौ सेना ने सन् 1946 में विद्रोह किया तो सरदार पटेल को यह बहुत ठीक नहीं लगा। उन्होंने विद्रोहियों की प्रशंसा करने के कारण समाजवादियों को कड़वी बातें सुनाई और पं० नेहरू को भी समाजवादियों को खुश करने की नीति अपनाने से मना किया। सरदार दूरदर्शितापूर्ण मस्तिष्क से, देश के भविष्य की ओर सोचते थे और इसी कारण विद्रोह का मूल्यांकन उन्होंने भविष्य के लिए किया था। अंग्रेज देश छोड़ जाएं, इसके उपरांत राष्ट्र को विद्रोह जैसी घटना भुगतना ऐसी परंपरा सरदार डालना नहीं चाहते थे।

इस प्रकार सरदार, हस्तक्षेप रहित प्रशासन, जिसमें अधिकारियों से पूर्ण नीतिगत लाभ लिया जा सके और प्रशासक दृढ़ता के साथ सार्वजनिक कर्तव्य निभाएं, देश के हित को सर्वोच्च रखना चाहते थे— ऐसा उनके नेतृत्व का चरित्र था। और इस प्रकार वे नेपोलियन की भांति राष्ट्रहित की सर्वोच्चता तो चाहते थे, परन्तु बिना किसी बुरी परंपरा की नीच डाले प्रजातांत्रिक प्रकृति से कार्य करने वाले राष्ट्रवादी थे।

“कार्य निःसंदेह पूजा है, लेकिन हंसना ही जिंदगी है।” इस अमर वाक्य के परिप्रेक्ष्य में सरदार पटेल का संदेश है कि जो जीवन को बहुत गंभीरता के साथ लेता है, उसे अपने अस्तित्व की खातिर जूझना होगा। और वह, जो दुःख व आनंद को समानता के साथ स्वीकार करता है, वास्तव में श्रेष्ठ जीवन पाता है। दुःख सहन करने से जीवन का अंत सुखद बनता है और भावी पीढ़ियों के लिए विरासत बनती है। स्वयं उन्होंने दुःख स्वीकार किया, दीनता स्वीकार की, भावी पीढ़ियों का जीवन सुखी करने के लिए। जीवन भर सत्याग्रह किए, कष्ट झेले, परिवार का बलिदान किया और अस्तित्व के लिए जूझे। इस विशेषता में सरदार का नेतृत्व महान् क्रांतिकारी लेनिन की श्रेणी का है। उनके व्यक्तित्व में असंख्य विशेषताएं थीं, जिसमें स्वयं कष्ट भोगना, लेकिन बलिदान करना, आदर करना, सत्य बोलना, निःस्वार्थ रहना, श्रद्धा रखना, स्पष्ट कहना और आशावादी रहना, दूरदर्शिता रखते हुए विरोधी को जीतें। अनुशासनबद्धता को मानना, आत्म-सम्मान रखते हुए समान व्यवहार करना और दृढ़ इच्छा आदि शामिल हैं।

लेनिन ने भी जीवन भर संघर्ष किया, भावी पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कष्ट उठाए और स्वयं दीनता स्वीकार की, ताकि रूस के आम जन का अस्तित्व बन जाए। उनका भी अमर

संदेश सरकार पटेल की भांति यही था— दुःख सहन करके अस्तित्व की खातिर जूझें। लेनिन एक विचारक तथा जन्मजात नेतृकारी था और सरदार पटेल एक सुदृढ़ संघर्षकर्ता व नेतृकारी। सिद्धान्तों में दोनों में मतभेद हो, परन्तु जीवन में कर्म को दोनों बराबर स्थान देते थे।

किसान को धरती पर सिर उठाकर गर्व से चलने का अधिकार है, क्योंकि वह धरती से धन—धान्य उत्पन्न करने वाला है। इस बात में सरदार का पूर्ण विश्वास था। साम्यवादी चीन के निर्माता माओत्से तुंग के नेतृत्व की श्रेणी सरदार पटेल से इस रूप में मिलती है। दोनों नेतृकारी किसानों के संगठन को समान महत्व देने वाले थे। यद्यपि माओत्से तुंग का सिद्धांत साम्यवादी था और सरदार का गांधीवादी। लेकिन माओ न चीनी साम्यवादी दल को जो मजबूत संगठन दिया और जिससे चीन में क्रांति संभव हुई, उसी की भांति सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिकतर गतिशील संगठन बनाया और उससे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फिर अहिंसक मार्ग से कांग्रेस ने जो उपलब्धियां प्राप्त कीं, उनकी तो मिसाल भी मिलनी मुश्किल है। इस प्रकार, सरदार पटेल के नेतृत्व का वर्गीय चरित्र एकपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय था। वे बिस्मार्क से श्रेष्ठ लौहपुरुष, नेपोलियन से श्रेष्ठ कार्यपद्धति वाले, लेनिन जैसे कर्मप्रिय तथा माओत्से तुंग जैसे कृषक नेतृकारी नेता थे।

सन्दर्भ

1. (1982). 'फॉर ए यूनाइटेड इंडिया स्पीचीज ऑफ सरदार पटेल'. प्रकाशन विभाग: नई दिल्ली. पुनर्मुद्रण, पृष्ठ 25.
2. वही।
3. सग्गी, पी. डी. (1953). 'एक नेशनल होमेज'. ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस: बंबई, फर्स्ट एडिशन. पृष्ठ 31.
4. (1958). 'सरदार की सीख'. नवजीवन प्रकाशन मंदिर: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 44.
5. (1958). 'सरदार की सीख'. नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 53.
6. सग्गी, पी. डी. (1953). 'ए नेशनल होमेज'. ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस: बंबई. फर्स्ट एडिशन. पृष्ठ 21.
7. (1950). 'सरदार पटेल के भाषण'. नरहरि पारिख, उत्तरचंद शाह. नवजीवन प्रकाशन मंदिर: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 212.
8. (1951). 'सरदारजी के विशिष्ट और अनोखे पत्र-2'. मण्णिवहन वी० पटेल. सरदार पटेल स्मारक भवन: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 191.
9. (1982). 'फॉर ए यूनाइटेड इंडिया ऑफ सरदार पटेल'. प्रकाशन विभाग: नई दिल्ली. पुनर्मुद्रण. पृष्ठ 25.
10. (1982). 'ए पैट्रियट फॉर मी'. एस० हरदिया—ओरिएंट लॉगमेंस: बंबई. फर्स्ट एडिशन. पृष्ठ 169.
11. (1981). 'सरदार जी के विशिष्ट एवं अनोखे पत्र-1', मणि बहन वी० पटेल. सरदार पटेल स्मारक भवन: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 321.
12. (1958). 'सरदार की सीख'. नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 443.
13. (1958). 'सरदार की सीख'. नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 3.
14. सग्गी, पी. डी. (1953). 'ए नेशनल होमेज'. ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस: बंबई. फर्स्ट एडिशन. पृष्ठ 30.

15. (1982). 'फॉर ए यूनाइटेड इंडिया ऑफ सरदाद पटेल'. प्रकाशन विभाग: नई दिल्ली. पुनर्मुद्रण. पृष्ठ 36.
16. (1981). 'सरदार जी के विशिष्ट एवं अनोखे पत्र-1'. मणि बहन वी० पटेल. सरदार पटेल स्मारक भवन: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 321.
17. (1950). 'सरदार पटेल के भाषण'. नरहरि पारिख. उत्तरचंद शाह. नवजीवन प्रकाशन मंदिर: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 212.
18. सग्गी, पी. डी. (1953). 'ए नेशनल होमेज'. ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस: बंबई. फर्स्ट एडीशन. पृष्ठ 1911.
19. (1950). 'सरदार पटेल के भाषण'. नरहरि पारिख. उत्तरचंद शाह. नवजीवन प्रकाशन मंदिर: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 307.
20. मूर्ति, आर. के. (1976). 'सरदार पटेल : दी मैन एंड हिज कंटेंपोरेरिज'. प्रथम संस्करण. स्टर्लिंग पब्लिशिंग हाउस: पृष्ठ 13.
21. (1950). 'सरदार की सीख', नवजीवन प्रकाशन मंदिर: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 52.
22. पटेल, मणि बहन वी. (1981). 'सरदार जी के विशिष्ट एवं अनोखे पत्र-1'. सरदार पटेल स्मारक भवन: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 326.
23. पटेल, मणि बहन वी. (1981). 'सरदार जी के विशिष्ट एवं अनोखे पत्र-1'. सरदार पटेल स्मारक भवन: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 254.
24. (1982). 'फॉर ए यूनाइटेड इंडिया, स्पीचीज ऑफ सरदार पटेल'. प्रकाशन विभाग: नई दिल्ली. पुनर्मुद्रण. पृष्ठ 45.
25. (1982). 'फॉर ए यूनाइटेड इंडिया, स्पीचीज ऑफ सरदार पटेल'. प्रकाशन विभाग: नई दिल्ली. पुनर्मुद्रण. पृष्ठ 27.
26. (1982). 'फॉर ए यूनाइटेड इंडिया, स्पीचीज ऑफ सरदार पटेल'. प्रकाशन विभाग: नई दिल्ली. पुनर्मुद्रण. पृष्ठ 27.
27. अहलूवालिया, बी. के. (1974). 'फैक्ट्स ऑफ सरदार पटेल'. कल्याणी प्रकाशन: लुधियाना. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 162.
28. हरदिया, एस. (1982). 'ए पैट्रियट फॉर मी'. ओरिएंट लॉगमैस: बंबई, फर्स्ट एडीशन. पृष्ठ 168.
29. सग्गी, पी. डी. (1953). 'ए नेशनल होमेज'. ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस: बंबई. फर्स्ट एडीशन. पृष्ठ 19.
30. शंकर, वी. (1976). 'चुना हुआ पत्र-व्यवहार, भाग-1'. नवजीवन प्रकाशन मंदिर: अहमदाबाद. प्रथम संस्करण. पृष्ठ 204.
31. सग्गी, पी. डी. एडी. (1953). 'ए नेशनल होमेज- लाइफ एंड वर्क ऑफ सरदार पटेल'. ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस: बंबई. फर्स्ट एडीशन. पृष्ठ 2.